राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(16)राज/वाद/25 जयपुर, दिनांक 30/07/2026

:: आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती 2024 की मुख्य सूची में चयनित होकर वर्तमान में कलेक्ट्रेट, धौलपुर में तहसील राजाखेड़ा में कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 20.11.2025 से कार्यरत तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 की प्रतीक्षा सूची से चयनित एवं प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग द्वारा इस विभाग को आवंटित गैर अनुसूचित क्षेत्र के 01 अभ्यर्थी **श्री सैफ अली पुत्र श्री मोहम्मद शरीफ** को प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.–3/2025–08916 जयपुर दिनांक 02.07.2026 में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार **राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999** के अन्तर्गत अस्थायी आधार पर कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर **02 वर्ष (कार्यग्रहण दिनांक 20.11.2025 से)** की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/– रूपये प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् परिवीक्षाकाल अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पे–मैट्रिक्स के लेवल L-5 में अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से नियुक्त किया जाकर, इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित इस विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालय में एतद्द्वारा किया जाता हैः–

क्र. सं.	मेरिट नं0	रोल नं0	नाम सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	पिता का नाम सर्व श्री	जन्म तिथि	लिंग	श्रेणी	चयनित श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	1852	418020	सैफ अली	मोहम्मद शरीफ	27.02.99	Male	OBC	GEN_A_WL	अपर लोक अभियोजक, सं02, श्रीगंगानगर

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6) एफ.डी. /रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/ 2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13 (1)एफडी /रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी।
2. उक्त नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी/एससी/ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
3. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अन्तर्गत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) देय होगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम/विभिन्न न्यायालयों में दायर कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2024 से संबंधित समस्त लंबित याचिकाओं में होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

30/07/26

5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

6. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

7. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक(क–2)विभाग के परिपत्र क्र. प. 15(01)/कार्मिक/ क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।

8. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नही होंगे।

9. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

10. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो, उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

11. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

12. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

13. राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की संबंधित बोर्डों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यधीन रहेगी।

14. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज कूटरचित/फर्जी/मिथ्या पाये जाते हैं तो कार्यग्रहण के उपरान्त भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से वंचित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

16. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र सत्य हैं। किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा राज्य सरकार/विभाग द्वारा इनकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

30/07/26

17. चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

18. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है और जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक् सत्यापन पश्चात स्वीकार किया गया है।

19. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह०

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.–3/2025–08916, दिनांक 02.07.2026 के क्रम में।
5. जिला कलक्टर, धौलपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1/स/2ब/5/स्था/2020–03452/2526–29 दिनांक 14.07.2026 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री सैफ अली पुत्र श्री मोहम्मद शरीफ, कनिष्ठ सहायक तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर को अविलम्ब कार्यमुक्त कर इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय अपर लोक अभियोजक, सं02, श्रीगंगानगर में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने के संबंध में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें तथा सूचना तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलक्टर, धौलपुर के द्वारा श्री सैफ अली पुत्र श्री मोहम्मद शरीफ, कनिष्ठ सहायक तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय अपर लोक अभियोजक, सं02, श्रीगंगानगर में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें तथा सूचना तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित अपर लोक अभियोजक को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना संबंधित जिला कलक्टर को तत्काल प्रेषित करते हुये, इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
9. संबंधित कोषाधिकारी।
10. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम,वादकरण।
11. संबंधित अभ्यर्थी श्री सैफ अली पुत्र श्री मोहम्मद शरीफ, कनिष्ठ सहायक तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त होकर इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय अपर लोक अभियोजक, सं02, श्रीगंगानगर में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. ए0सी0पी0, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रमोद कुमार 30.07.26

(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि